

अब डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं हो सकेगी पीएचडी

डेली न्यूज, mix रिपोर्टर

जयपुर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन (यूजीसी) ने हाल ही में सर्कुलर जारी करते हुए यूनिवर्सिटीज को ये साफ निर्देश

**यूजीसी ने
पीएचडी व
एमफिल की
डिग्री को
लेकर दिए
निर्देश**

दिए हैं कि अब से वो डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए किसी भी स्टूडेंट को पीएचडी व एमफिल की डिग्री न दें। डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से की गई डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) कार्यक्रमों के लिए दी गई डिग्री को वैलिड नहीं माना जाएगा। अब से सिर्फ फुल टाइम और पार्ट टाइम कोर्स की डिग्री को

ही वैलिड माना जाएगा। हालांकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी पीएचडी के फुल टाइम कोर्स ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी (वाईसीएमओयू) पीएचडी के कोर्स डिस्टेंस एजुकेशन के तहत भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सर्कुलर के बाद इनके पीएचडी कोर्स की डिग्री अब नहीं मिल पाएगी।

रेगुलर मोड से ही पीएचडी

यूजीसी का कहना है कि पीएचडी रेगुलर मोड से ही की जा सकती है। देशभर की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में डिस्टेंस मोड से न होकर पीएचडी रेगुलर मोड से ही होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस और बायलॉज के अनुसार ही पीएचडी रेगुलर मोड से होगी और इसकी डिग्री दी जाएगी।

फिलहाल स्टूडेंट्स उलझन में

यूजीसी के इस नोटिस के बाद डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट्स अब उलझन में हैं। इस एकेडमिक सेशन के जो स्टूडेंट्स फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, उनके लिए भी अब सिचुएशन क्लियर नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया था कि दो महीने के अंदर सभी पीएचडी स्कॉलर्स की जानकारी सभी इंस्टिट्यूशंस वेबसाइट पर अपलोड करें। यह प्रोसेज भी अभी चल रहा है।